भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 108
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम
***108. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की वर्तमान (17वीं) किस्त जारी कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार का कृषि सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (केएससीपी) के अंतर्गत 30,000 से अधिक स्व-सहायता समूहों को प्रमाणपत्र प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का कृषि सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में बदलाव लाने के लिए केएससीपी कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी कृषि सखियों को ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है; और
(ङ) किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 17 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की है। पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जून, 2024 में 9.26 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20,000/- करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है।

(ख) से (घ): कृषि में कृषि सखियों की क्षमताओं का लाभ उठाने तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को समझने और कृषि सखियों के कौशल को और बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30.08.2023 को प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य में कृषि सखियों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम (केएससीपी) के तहत 70,000 कृषि सखियों को *पैरा-कृषि विस्तार कार्यकर्ता प्रमाणपत्र* देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम चरण-1 में 12 राज्यों में शुरू किया गया है, अर्थात गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय।

कृषि सखी विश्वसनीय कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन और अनुभवी किसान हैं। उन्हें साथी किसानों को प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के लिए, उन्हें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 56-दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि कृषि सखी अपने समुदायों में अन्य किसानों की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। प्रशिक्षण में कृषि पद्धतियों की निम्नलिखित श्रृंखला शामिल हैं:

- भूमि की तैयारी से लेकर कटाई तक कृषि-पारिस्थितिक अभ्यास
- किसान फील्ड स्कूल का आयोजन
- मृदा स्वास्थ्य और पौध पोषक तत्व प्रबंधन
- कीट और रोग प्रबंधन
- कृषि पोषक उद्यानों की स्थापना और रखरखाव
- बीज प्रणाली

- मृदा और नमी संरक्षण अभ्यास
- एकीकृत कृषि प्रणाली
- पशुधन प्रबंधन की मूल बातें
- जैव-इनपुट की तैयारी और उपयोग, और जैव-इनपुट दुकानों की स्थापना
- मूल संचार कौशल

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, कृषि सखियों को लिखित परीक्षा पास करनी होती है, दिनांक 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार 70,000 में से 51,849 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षित कुल 51,849 में से 34,973 कृषि सखियों को *कृषि पैरा-विस्तार कार्यकर्ता प्रमाणपत्र* दिया जा चुका है जिससे वे निर्धारित संसाधन शुल्क पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगी।

(ड.) भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **बीमा योजनाएं:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी जोखिमों के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करती हैं ।

(ii) **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** योजना विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, जिससे ऋण तक पहुँच बढ़ती है।

(iii) **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)**: एमएसपी प्रणाली फसलों के लिए उचित मूल्य की गारंटी देती है, जबकि ई-नाम किसानों को देश भर के बाजारों से जोड़ता है, जिससे मूल्य प्राप्ति में सुधार होता है।

(iv) **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)**: 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस योजना का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है। यह कोष ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता प्रदान करता है।

(v) **किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन**: सरकार ने 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 10,000 नए एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है।

(vi) **नमो ड्रोन दीदी पहल**: यह पहल किसानों को किराये की सेवाओं के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करती है, जिससे कृषि गतिविधियों में सहायता मिलती है ।

(vii) **कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)**: किसानों को सब्सिडी दरों पर कृषि मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(viii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के साथ-साथ उर्वरकों, बीजों और मशीनरी जैसे इनपुट पर सब्सिडी से लागत कम करने और कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

किसान कॉल सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप बाज़ार की कीमतों, मौसम और सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हैं।

*****